न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः 143/2021/दावा 136 एलआरएक्ट

नन्द किशोर बिजारनियां पुत्र नारायण राम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 20, शहीद रोड लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

—वादी

ब ना म

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)

—प्रतिवादी

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति—

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादी की ओर से।

नि र्ण य दिनांक— 28.11.2022

1 वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि ख.नं. 2010, 2017, 2020 कुल किता 3 कुल रकबा 3.4000 हैक्टर व ख.नं. 2009, 2018, 2019 कुल किता 3 कुल रकबा 0.1000 हैक्टर ग्राम लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें वादी का नाम सावरमल पुत्र नारायणराम दर्ज है, उक्त भूमियों में वादी का जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में दर्जानुसार हक हिस्सा है, जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी से प्रमाणित है। वादी का सही व वास्तविक नाम नन्द किशोर बिजारणियॉ पुत्र नारायण राम है जो परिवार राशन कार्ड, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, सैकंडरी (10th) कक्षा की मार्कशीट में वादी का नाम नन्द किशोर बिजारणियॉ पुत्र नारायण राम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गलती व लापरवाही से वादी का नाम नन्द किशोर बिजारणियॉ पुत्र नारायण राम की जगह सांवरमल पुत्र नारायणराम दर्ज हो गया है जो गलत है, सांवरमल पुत्र नारायणराम की जगह वादी का सही व वास्तविक नाम नन्द किशोर बिजारणियॉ पुत्र नारायण राम उघोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में संशोधन के आदेश पारित किया जाना सादर प्रार्थनीय है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी का नाम राजस्व

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही से नन्द किशोर बिजारणियॉं पुत्र नारायण राम के स्थान पर सांवरमल पुत्र नारायणराम दर्ज हुआ है जो गलत है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रमाणित है कि वादी का सही व वास्तविक नाम नन्द किशोर बिजारणियॉं पुत्र नारायण राम है तथा सांवरमल पुत्र नारायणराम व नन्द किशोर बिजारणियॉं पुत्र नारायणराम एक ही व्यक्ति है जो संशोधन किये जाने योग्य है। उक्त दुरूस्ती करवाने हेतु वादी तहसील कार्यालय दांतारामगढ में गया तो तहसीलदार ने उक्त संशोधन करने मना कर दिया, उसके पश्चात वादी ने श्रीमानजी की सेवामें दावा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 2010, 2017, 2020 कुल किता 3 कुल रकबा 3.4000 हैक्टर व ख.नं. 2009, 2018, 2019 कुल किता 3 कुल रकबा 0. 1000 हैक्टर ग्राम लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी का नाम सांवरमल पुत्र नारायणराम के स्थान पर नन्द किशोर पु नारायणराम दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2 वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का नाम सांवरमल पुत्र नारायणराम के स्थान पर नन्द किशोर पु नारायणराम दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3 बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि रिपोर्ट पटवारी लोसल अनुसार ग्राम लोसल के ख.नं. 2010, 2017, 2020 व ख.नं.

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

2009, 2018, 2019 में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सावरमल पुत्र नारायणराम जाति जाट दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रिपोर्ट पटवारी अनुसार उपरोक्त ख.नं. में नामा. सं. 489 विरासत दिनांक 29.10.2004 के द्वारा सावरमल पुत्र नारायणराम का नाम दर्ज है जिसकी प्रतिलिपि रिपोर्ट के साथ संलग्न है। उसके पश्चात आज दिनांक तक वादी नाम सावरमल पुत्र नारायणराम चला आ रहा है। रिपोर्ट पटवारी अनुसार पहचान के दस्तावेज जैसे पेन कार्ड, फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड आदि में वादी का सही नाम नन्द किशोर बिजारणियॉ पुत्र नारायणराम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार सांवरमल पुत्र नारायणराम के स्थान पर नन्दकिशोर बिजारणियॉ पुत्र नारायणराम दर्ज किये जाने कि अभिशंषा की जाती है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ख.नं. 2010, 2017, 2020 कुल किता 3 कुल रकबा 3.4000 हैक्टर व ख.नं. 2009, 2018, 2019 कुल किता 3 कुल रकबा 0.1000 हैक्टर ग्राम लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादी का नाम सांवरमल पुत्र नारायण के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम नन्दकिशोर उर्फ सांवरमल पुत्र नारायण राम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11/22

(प्रतिभा वर्मा IAS)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ